

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2010—आश्विन 13, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-24-20-2008-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यायमूर्ति श्री एस. एस. झा के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन के संबंध में, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 24-20-2008-एक-10, दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 3 में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. वर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-24-20-2008-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 24-20-2008-एक-10, दिनांक 5 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. वर्मा, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th October 2010

No. F-24-20-2008-1-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification No. F. 24-20-2008-one-10, dated 8th October 2008, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary) dated 8th October 2008, regarding appointment of the one man Commission of Inquiry of Shri Justice S. S. Jha, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in para 3, for the words "Six months" the words "Three years" shall be Substituted

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. K. VERMA, Addl. Secy.